बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 152641 पटना, दिनांक 19/06/2013

ग्रा0वि0-4/सी0ए0-3-04/2012

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार सिंह,
अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषय :- **मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण कराने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 147834 दिनांक 13.05.2013.

महाशय,

उपुर्यक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में कहना है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन मार्गनिदेशिका (Operational of Guideline, 4th Edition, Feb, 2013) में दिये गये दिशा-निर्देश तथा प्रासंगिक पत्र के ~~की~~ कंडिका 1 से 4 को अनुपालन करते हुए मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण कराना सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक :- पत्रांक 147834 दिनांक 13.05.2013 एवं भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन मार्गनिदेशिका की छाया प्रति ।

विश्वासभाजन,

19.6.13
(मिथिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव ।

ज्ञापांक :- 152641 पटना, दिनांक :- 19/06/2013

प्रतिलिपि :- सभी चयनित अंकेक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19.6.13
अपर सचिव ।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :- 147834 पटना, दिनांक :- 13/05/2013

ग्रा0वि0-07(आं0)-12/2012

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
आयुक्त मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषय : **मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण कराने के संबंध में।**

प्रसंग : भारत सरकार द्वारा निर्गत अद्यतन मार्गनिदेशिका (Operational Guideline, 4th Edition, Feb 2013) अंतर्गत अंकेक्षण से संबंधित निदेश ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि प्रासंगिक मार्गनिदेशिका के द्वारा मनरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में अद्यतन दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं । मार्गनिदेशिका के कंडिका 12.7 में ग्राम पंचायतों के अंकेक्षण से संबंधित निदेश दिये गये हैं, जहाँ निर्धारित प्रपत्र यथा अनुलग्नक- 29 एवं 30 में ग्राम पंचायतों का शत प्रतिशत अंकेक्षण किया जाना है । इस क्रम में अनुरोध है कि

1. वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित मनरेगा का वैधानिक (statutory) अंकेक्षण, भारत सरकार द्वारा दिये गये प्रासंगिक निदेश के आलोक में कराया जाय ।
2. ग्राम पंचायतों के शत प्रतिशत अंकेक्षण, निर्धारित प्रपत्रों में ही किये जायेंगे । इस क्रम में सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाकर उनको प्रशिक्षित कर दिया जाय ताकि मई माह के अंत तक सभी पंचायत निर्धारित बिन्दुओं पर अपनी तैयारी पूरी कर लें । इससे अंकेक्षण कार्य सुगमता से हो सकेगा ।
3. विभाग द्वारा सभी जिलों के वधानिक अंकेक्षण (statutory audit) के लिये CA का empanelment प्रक्रियाधीन है । Empanelment के उपरांत राज्य स्तर पर भारत सरकार के निदेशों के आलोक में अंकेक्षण करने के लिये इनका basic orientation किया जायेगा । अंकेक्षण के पूर्व संबद्ध CA firm तथा कार्यक्रम पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक कर पुनः orientation (अनुस्थापन) एंव तैयारी की समीक्षा जिला स्तर पर भी अवश्य कर ली जाय ।
4. पंचायतों के शत प्रतिशत अंकेक्षण, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराने का दायित्व संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक का है ।

कृपया उच्च प्राथमिकता के साथ अगस्त माह के पूर्व सुनिश्चित कराया जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

(मिहिर कुमार सिंह)
आयुक्त, मनरेगा

महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियमए 2005
(महात्मा गांधी नरेगा)

दिशा–निर्देश
2013
चौथा संस्करण

12.7 मनरेगा के खातों की वित्तीय लेखा–परीक्षा

12.7.1 मनरेगा के खाते जिला स्तर पर रखे जाते हैं और एसईजीएफ के पास रखे खातों की वार्षिक आधार पर सीए/सीए फर्मों द्वारा लेखा–परीक्षा की जाएगी, जिससे ग्राम पंचायतों को प्राप्तियों और भुगतान की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। सामान्यतया ग्राम पंचायत खातों की ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों द्वारा आंतरिक रूप से लेखा–परीक्षा की जाती है और बाद में स्थानीय निधि लेखा–परीक्षक (राज्य दर राज्य नामांकन भिन्न–भिन्न हो सकता है) द्वारा की जाती है। कुछ मामलो मे खातों को बंद करने और स्थानीय निधि लेखा–परीक्षक द्वारा लेखा–परीक्षा करने के बीच काफी अंतराल होता है तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रत्येक वर्ष स्थानीय निधि लेखा–परीक्षा द्वारा लेखा–परीक्षा नहीं की जाती है। मनरेगा खातों की स्थिति को ग्राम पंचायतों द्वारा रखा जा रहा है जो राज्यों में गुणवत्ता के अनुसार भिन्न होता है।

12.7.2 मनरेगा की धारा 29(1) के प्रावधानों के अनुसरण में, मनरेगा निधियों के लेखाओं में सुधार करने के लिए तथा ग्राम पंचायतों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के खातों के प्रमाणीकरण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था स्थानीय निधि लेखा–परीक्षक के माध्यम से संतोषजनक स्तर प्राप्त करने पर लेखा–परीक्षा व्यवस्था होने तक विद्यमान रहेगी।

12.7.3 प्रमाण–पत्र का कार्यक्षेत्र

पद्ध मनरेगा के संबंध में सीए मनरेगा अधिनियम की धारा 24(2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और ढंग में ग्राम पंचायत द्वारा रखे गए निम्नलिखित खातों/दस्तावेज सहायक मस्टर रोल, वाउचर और बिलों के अनुरूप है:

क) नकद बही

ख) प्राप्ति और भुगतान विवरण

ग) बैंक और डाकघर पुनः समायोजन विवरण

घ) जारी उपयोगिता प्रमाण–पत्र यदि कोई हो

पपद्ध इनके अलावा, सीए मनरेगा के लिए निर्धारित निम्नलिखित रजिस्टरों की भी जांच करेगा:

क) नकद बही

ख) प्राप्ति और भुगतान विवरण

ग) मस्टर रोल प्राप्ति रजिस्टर

घ) जॉब कार्ड निर्गम रजिस्टर

ङ) रोजगार रजिस्टर

च) कार्य रजिस्टर

छ) परिसंपत्ति रजिस्टर

ज) मासिक आबंटन तथा उपयोग निगरानी रजिस्टर

खातों की जांच और प्रमाणन मूल वाउचरों/चालानों/बिलों पर आधारित होगी।

खातों की जांच और प्रमाणन मूल वाउचरों/चालानों/बिलों पर आधारित होंगी।

12.7.4 सीए

i) लेखाओं और वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता पर टिप्पणी करेगा।
ii) प्रणाली तथा कंट्रोल में कमियों/खामियों और कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना एवं सूची बनाना तथा इनमें सुधार करने के लिए सिफारिश करना।
iii) ग्राम पंचायत द्वारा शुरू किए गए कार्यों पर मजदूरी – सामग्री अनुपात पर टिप्पणी करना।
iv) प्रमाणित करें कि क्या मनरेगा निधियों का प्रयोग अनुमेय कार्यकलापों/कार्यों या अन्यथा के लिए किया गया है।
v) अन्य मामलों पर टिप्पणियां जिनका मनरेगा के कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
इस उद्देश्य के लिए एक सांकेतिक जांच सूची संलग्न है (अनुबंध –29)

12.7.5 सीए द्वारा ग्राम पंचायत का दौरा

यह परिकल्पना की गई है कि सीए खातों के प्रमाणन के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय का दौरा करेगा। दौरा करने के लिए सीए प्रमाणन प्रक्रिया को शुरू करने से पहले जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) को अग्रिम दौरा कार्यक्रम देगा जिसमें दौरे की प्रस्तावित तारीखें दर्शाई जाएंगी। डीपीसी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि सभी आवश्यक दस्तावेज प्रमाणीकरण के लिए सीए फर्मों को उपलब्ध कराए जाएं तथा जब वे ग्राम पंचायतों का दौरा करें तो संबंधित जिला पंचायत अधिकारी सीए के लिए उपलब्ध हों। इस प्रयोजन के लिए डीपीसी की सहायता संबंधित पीओ द्वारा की जाएगी।

12.7.6 चयन प्रक्रिया और प्रमाणन शुल्क

राज्य सरकार द्वारा सीएण्डएजी/राज्य एजी के पैनल में सीए की सूची से चयन करके यह कार्य सौंपा जाएगा। ग्राम पंचायतों के खाते के प्रमाणन का पारिश्रमिक सीएण्डएजी के कार्यालय के परामर्श से एमओआरडी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसे 6 प्रतिशत प्रशासनिक लागत में से वहन किया जाएगा।

12.7.7 प्रमाणित खातों का संकलन और रिपोर्टिंग

i) सीए ग्राम पंचायत के खातों के प्रमाणन के पूरा होने के 15 दिनों के अंदर इस परिपत्र के साथ संलग्नक (अनुबंध 30) प्रपत्र में प्रमाण–पत्र संलग्नक करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक रिपोर्ट पीओ को प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट में सत्यापित रिकार्ड, पाई गई अनियमितताएं, यदि कोई हों, जांच सूची में सूचीबद्ध मदों पर प्रलेखन और निष्किर्षों की पर्याप्तता शामिल होगी।

ii) इसके अलावा, डीपीसी को ऐसी सभी ग्राम पंचायतों के प्रमाणन को पूरा करने के 15 दिनों के अंदर प्रमाणन हेतु लिए गए सभी ग्राम पंचायतों की समेकित सार तथा जिले के अंदर सीए को सौंपे गए सार को सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट में ऐसे मुद्दे प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिनमें तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा, रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां और सुझाव भी दर्शाए जाएंगे।

iii) प्रमाणन के दौरान, यदि सीए को निधियों का गबन या दुर्विनियोजन दिखाई देता हो तो वह इसकी सूचना तत्काल डीपीसी के ध्यान में लाएगा जो आगे आवश्यक कार्रवाई करेगी।

iv) सीए द्वारा जिला–वार की गई टिप्पणियों के सार को राज्य रोजगार गारंटी निधि की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में भी शामिल किया जाएगा।

v) जिला स्तर पर मनरेगा निधियों की लेखा–परीक्षा करते समय लेखा–परीक्षक ग्राम पंचायतों के खाते में सीए द्वारा किए गए प्रमाणन और टिप्पणी को ध्यान में रखेगा।

vi) राज्य स्तर पर सचिव/आयुक्त, मनरेगा तथा जिला स्तर पर डीपीसी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि चयनित ग्राम पंचायतों के खातों की पैनल में नामोदिष्ट सीए द्वारा एक निश्चित समय–सीमा में प्रमाणित किया जाए।

vii) डीपीसी राज्य सरकार को टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत करेगी तथा इसी प्रकार राज्य सरकार एमओआरडी को एक समेकित की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

12.7.9 **प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना:** प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास/राज्य आयुक्त, मनरेगा और डीपीसी (1) प्रमाणन की प्रगति की निगरानी करने (2) सुधारात्मक कार्रवाई करने (3) संबंधित प्राधिकारी को एटीआर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगी।

12.7.10 उपर्युक्त के अलावा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या इसके लिए उनकी ओर से नियुक्त व्यक्ति योजनाओं के लेखाओं की ऐसे अंतराल, जैसा वह उपयुक्त समझे, पर लेखा–परीक्षा करेगा।

12.7.11 मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय की आंतरिक लेखा–परीक्षा द्वारा भी लेखाओं की लेखा–परीक्षा की जाएगी।

अनुबंध–29

ग्राम पंचायत की मनरेगा खातों की लेखा–परीक्षा के लिए जांच सूची

1. क्या ग्राम पंचायत ने लेखा–परीक्षा के लिए खातों की सही किताबें तथा रिकार्ड उपलब्ध कराएं हैं?
2. क्या मस्टर रोल दी गई मजदूरी से मेल खाते हैं?
3. क्या अन्य भुगतान वाउचरोंधबिलों से मेल खाते हैं?
4. क्या उचित वाउचरों या बिलों के बिना धनराशि निकालने या किए गए भुगतान पर ध्यान दिया गया?
5. क्या बैंक/डाकघर खाते की पासबुक में बकाया राशि ग्राम पंचायत खाते की कैश बुक (रोकड़ बही) से मेल खाती है?
6. क्या धनराशि उसी काम पर खर्च की गई है जिसके लिए यह दी गई थी?
7. क्या ग्राम पंचायत द्वारा खर्च की गई राशि को सही ढंग से वर्गीत किया गया है और यह परिचालन दिशा –निर्देशों तथा अनुदेशों के अनुरूप अनुमेय है।
8. क्या निधियों के गबन या दुर्विनियोजन का मामला पाया गया?
9. क्या ग्राम सभा में परियोजनाओं की सूची निर्धारित की गई है?
10. क्या शुरू किए गए सभी कार्य डीपीसी द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का हिस्सा है तथा उन्हें प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है?
11. क्या प्रापण से पहले ग्राम सभा ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रापण प्रक्रिया का अनुपालन किया है?
12. क्या जारी जाब कार्डो का सही रख–रखाव किया गया है?
13. क्या काम की मांग पंजीगत की गई है तथा दिनांक युक्त रसीद दी गई है?
14. क्या जारी किए गए गलत या गुम हुए चेकों, यदि कोई हों, पर आवश्यक कार्रवाई की गई हैं?
15. क्या सभी वाउचर तथा रसीदें ग्राम पंचायत के प्रधान तथा सचिव द्वारा प्राधिकृत हैं?
16. क्या सृजित परिसंपत्तियों के ब्यौरो को पंचायत तथा मनरेगा के रजिस्टिर में दर्ज किया गया हैं?
17. क्या ग्राम पंचायत ने मनरेगा सॉफ्ट में समय पर आँकड़ों की प्रविष्टि (डाटा एंट्री) की है?

हस्ताक्षर सीए

अनुबंध–30

ग्राम पंचायत के मनरेगा खातों के लिए प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:

जिला तथा राज्य :

दौरे की तारीख :

ब्लॉक :

1) मैंने/ हमने (दिनांक) को ..... जिले के ..... ब्लॉक की ..... ग्राम पंचायत का दौरा किया तथा (मौजूद कर्मचारियों के नाम दें) की उपस्थिति में बही खातों तथा अन्य रजिस्ट्रारों का निरीक्षण किया।

2) उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा हमें दिए गए रिकार्डों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित लेन–देन के अलावा रोकड़ बही (कैश बुक) तथा रसीद और भुगतान विवरण सही वाउचरों, बिलों तथा मस्टर रोलों से मेल खाते हैं।

क्र.सं.	ब्यौरा	दिनांक	धनराशि

3) .....वित्त वर्ष की समाप्ति पर रोकड़ बही तथा बैंक/ डाकघर समाधान विवरण सही हैं/ सही नहीं है (यदि सही नहीं है तो सुधारात्मक कार्रवाई के सुझावों के साथ ब्यौरे दिए जाएं) ।

4) ग्राम पंचायतों द्वारा रखे गए रजिस्टरों की स्थिति निम्नानुसार हैं

रजिस्टर	रख–रखाव की गणना			टिप्पणियाँ
	उत्कृष्ट	अच्छी	खराब	

5) आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं पर्याप्त हैं/ पर्याप्त नहीं है। (यदि पर्याप्त नहीं है तो सुधारने के सुझाव दिए जाएं)।

6) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत स्तर पर 60: 40 के मजदूरी: सामग्री अनुपात को बरकरार रखा है/ नहीं रखा है। (अगर 60: 40 के अनुपात का उल्लंघन किया है तो सही अनुपात दीजिए)

7) प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ने केवल अनुमेय प्रयोजनों के लिए ही मनरेगा निधियाँ उपयोग की हैं।

अथवा

ग्राम पंचायत ने निम्नलिखित खर्च किया है जो मनरेगा के परिचालन दिशा –निर्देशों के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है।

क्र.सं.	काम का नाम	किया गया खर्च	टिप्पणियाँ